

फर्द अहकाम

(नियम 13)

10

GCMs

2020/00010

28/10/2020

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. पं. राव

हलका निबलकोट

पुत्र श्री. मिसु जाति दादी

निवासी- निबलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 10/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निबलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 600 वर्ग फी. किस्म भूमि 3A मु. निबलकोट पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
29-7-2020	पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किता। पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	प 28/12/20 प. निबलकोट

13-8-2020


पत्रावली माण पेश हुई। गैरसाधन अनुपाष्टि।
पटवारी हल्का अनुपाष्टि। पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

~~पत्रावली माण पेश हुई। गैर साधन
अनुपाष्टि। पटवारी हल्का उपानुष्टि।
गैर साधन को अतिक्रमि क्रोषित करते
हुए पत्रावली फेसल सुनार हो।
निर्णय अलग ले लिखा जाकर शामिल
पत्रावली हो। निर्णय सुनो प्राप्तालय के
सुनाया गया पत्रावली फेसल सुनार
होकर दाखिल इफतार हो।~~

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


पं. निम्बलकोर